संख्या–4627 /71–3–2005–के0जी0–97/2004

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2005

विषयः– किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के रेडियोथिरेपी विभाग में ब्रेकीथिरेपी यूनिट की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय, भवन निर्माण एवं पदों के सृजन तथा उसपर होने वाले व्यय भार के लिए धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–388/रजिस्ट्रार कैम्प/जी0ए0/2005, दिनांक 24–4–2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के रेडियोथिरेपी विभाग में ब्रेकीथिरेपी यूनिट की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय हेतु रू0 1,90,00,000/–, भवन निर्माण हेतु रू0 17,50,000/– एवं प्रस्तर–2 में उल्लिखित पदों के सृजन तथा उसपर होने वाले व्यय भार के लिए रू0 4,79,000/– कुल रू0 2,12,29,000/– (रूपया दो करोड़ बारह लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त रेडियोथिरेपी विभाग में ब्रेकीथिरेपी यूनिट की स्थापना हेतु लेक्चरर मेडिकल फिजिक्स, वेतनमान रू0 8550–275–14600 के वेतनमान में एक पद, स्टाफ नर्स वेतनमान रू0 5000–150–8000 में 2 पद, रेडियोथिरेपी टेक्निशियन वेतनमान रू0 4000–125–6000 में 4 पद, वार्ड ब्वाय वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में 2 पद एवं स्वीपर्स वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में 2 पद कुल 11 पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक सृजित करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 17.50 लाख का व्यय आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त करके निर्माण कार्य कराया जायेगा।

4– उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल व समय–समय पर जारी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5– पदों के सृजन पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जा सकेगी।

6— स्वीकृत धनराशि का उपयोग उस मद में किया जाय जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है । किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी ।

7— धनराशि का कोषागार से आहरण वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे ।

8— उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—2006 में प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित अनुदान संख्या—31—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखा शीर्षक "2210—चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य—आयोजनागत—05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी —03— शिक्षा—66—किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना —20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या—ई0—3/1930/दस—2005—247, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 में दिए गए निदेशानुसार निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

संख्या— (1)/71—3—05—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—3।
6. नियोजन अनुभाग—4
7. सम्बंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।